

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 17

उपभोक्ता मामले विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	170.82	220.75	391.57	192.70	75.79	268.49	121.90	75.88	197.78	159.30	81.77	241.07	
पूँजी	9.27	...	9.27	27.30	...	27.30	18.10	...	18.10	20.70	...	20.70	
जोड़	180.09	220.75	400.84	220.00	75.79	295.79	140.00	75.88	215.88	180.00	81.77	261.77	
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	3451	...	16.11	16.11	...	20.68	20.68	...	21.17	21.17	...	23.20	23.20
उपभोक्ता मामले													
2. राष्ट्रीय परीक्षण शाला	3425	2.83	26.85	29.68	3.20	29.41	32.61	3.57	28.69	32.26	3.30	30.32	33.62
	5425	7.64	...	7.64	15.70	...	15.70	14.03	...	14.03	12.00	...	12.00
जोड़		10.47	26.85	37.32	18.90	29.41	48.31	17.60	28.69	46.29	15.30	30.32	45.62
3. उपभोक्ता संरक्षण	3456	85.45	8.59	94.04	86.80	10.68	97.48	74.19	11.14	85.33	78.94	12.07	91.01
	3601	25.21	...	25.21	31.80	...	31.80	11.33	...	11.33	28.16	...	28.16
	3602	0.09	...	0.09	1.10	...	1.10	0.50	...	0.50	0.90	...	0.90
जोड़		110.75	8.59	119.34	119.70	10.68	130.38	86.02	11.14	97.16	108.00	12.07	120.07
4. सुदृढ़ मूल्य निगरानी कक्ष	3456
	3601
	3602
जोड़	
5. बाट और माप का विनियमन, आरआरएसएल और आईआईएलएम	3475	34.53	4.61	39.14	32.75	4.87	37.62	2.34	5.23	7.57	14.00	5.93	19.93
	3601	12.71	...	12.71	12.75	...	12.75	12.45	...	12.45	8.50	...	8.50
	3602	0.25	...	0.25	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	5475	1.63	...	1.63	8.80	...	8.80	1.95	...	1.95	6.75	...	6.75
जोड़		49.12	4.61	53.73	54.80	4.87	59.67	17.24	5.23	22.47	29.25	5.93	35.18
6. बाजारों का विनियमन	3475	9.15	6.18	15.33
7. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (अंशदान)	3475	...	0.23	0.23	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.25	0.25
8. दलहनों के आयात पर सब्सिडी	2408	...	158.18	158.18	...	10.00	10.00	...	9.50	9.50	...	10.00	10.00
जोड़-उपभोक्ता मामले		179.49	204.64	384.13	193.40	55.11	248.51	120.86	54.71	175.57	152.55	58.57	211.12
9. उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं													

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
9.01 उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं													
9.01.01 उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं	3456	...	6.26	6.26	...	7.80	7.80	...	7.80	7.80	...	7.80	7.80
	3601	...	32.99	32.99	...	6.80	6.80	...	7.20	7.20	...	6.80	6.80
	3602	0.40	0.40	0.40	0.40
	जोड़	...	39.25	39.25	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
9.01.02 घटाइए - उपभोक्ता कल्याण निधि से पूरी की गई धनराशि	3456	...	-6.26	-6.26	...	-7.80	-7.80	...	-7.80	-7.80	...	-7.80	-7.80
	3601	...	-32.99	-32.99	...	-6.80	-6.80	...	-7.20	-7.20	...	-6.80	-6.80
	3602	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40
	जोड़	...	-39.25	-39.25	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00
	कुल
उद्योग													
10. उपभोक्ता उद्योग	2852	0.60	...	0.60	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	9.00	...	9.00
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	19.30	...	19.30	12.52	...	12.52	16.50	...	16.50
	4552	2.80	...	2.80	2.12	...	2.12	1.95	...	1.95
	जोड़	22.10	...	22.10	14.64	...	14.64	18.45	...	18.45
12. वास्तविक वसूलियां	3456
	3601
	जोड़
कुल जोड़		180.09	220.75	400.84	220.00	75.79	295.79	140.00	75.88	215.88	180.00	81.77	261.77
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. उपभोक्ता उद्योग	12860	0.60	...	0.60	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	9.00	...	9.00
2. नागरिक आपूर्ति	13456	179.49	...	179.49	193.40	...	193.40	120.86	...	120.86	152.55	...	152.55
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	22.10	...	22.10	14.64	...	14.64	18.45	...	18.45
जोड़		180.09	...	180.09	220.00	...	220.00	140.00	...	140.00	180.00	...	180.00

1. सचिवालयी व्यय: यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. यह प्रावधान नेशनल टेस्ट हाउस के लिए है।

3. यह प्रावधान राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग, उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के उपभोक्ता संरक्षण और सचिवालयी व्यय और पीएमसी के सुदृढीकरण के लिए है। इस प्रावधान में उपभोक्ता जागरूकता के तहत विज्ञापन और प्रचार-प्रसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर उपभोक्ता मंचों के नेटवर्किंग कार्यक्रम और उपभोक्ता मंचों के सुदृढीकरण के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।
4. मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ के सुदृढीकरण को उपभोक्ता संरक्षण में मिला दिया गया है।
5. यह प्रावधान बाट और माप इकाई, क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ लीगल मेट्रोलोजी संबंधी सचिवालयी व्यय के लिए है और इसमें क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं के प्रावधान भी शामिल हैं। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर बाट और माप अवसंरचना कार्यक्रम के प्रावधान भी शामिल हैं।
7. यह प्रावधान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आफ लीगल मेट्रोलोजी को अंशदान के लिए है।
8. यह प्रावधान राज्य सरकारों को दालों के आयात और आयातित दालों के वितरण संबंधी एमएमटीसी, पीईसी, एसटीसी और नैफेड को हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए है।
9. यह प्रावधान उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत शासित स्कीमों के लिए है।
10. यह प्रावधान भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/अमापन केन्द्रों की स्थापना के लिए है।
11. एकमुश्त प्रावधान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए है।